पुनरीक्षण अपराधी

भोपिंदर सिंह ढिल्लों, न्यायमूर्ति के समक्ष

मोहिंदर कौर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

सरदारा सिंह, प्रतिवादी

1971 का क्रिमिनल रीविश़न संख्या 355

26 मई 1971.

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम संख्या V) - धारा 195 - ईश पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम (1948 का एल) – धारा 40 - निपटान अधिकारी – क्या धारा 195 के अर्थ के भीतर एक "न्यायालय" है ।

अभिनिर्धारित किया कि पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 के तहत नियुक्त एक निपटान अधिकारी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 40 के तहत होल्डिंग्स के समेकन के संबंध में प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच विवादों का फैसला करता है, वह किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है यदि वह ऐसा करने की आवश्यकता महसूस करता है और योजना के खिलाफ अपील या आपत्तियों का निपटान करने से पहले, उसे पार्टियों को सुनना होता है। लेकिन अकेले ये कारक इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निर्णायक नहीं हैं कि निपटान अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अर्थ में एक न्यायालय है। निपटान अधिकारी के समक्ष पक्षकारों को स्वाभाविक रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कोई विशेष प्राधिकारी न्यायालय है या नहीं, यह एक प्रमुख विचार है कि क्या अधिकार के रूप में पक्षकार साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य है या नहीं। अधिनियम की धारा 40 के तहत, यदि वह चाहे तो केवल व्यक्तियों को

ही सम्मन कर सकता है। एक तरह से निपटान अधिकारी द्वारा उसके समक्ष मामलों का निपटान सारांश तरीके से किया जाता है क्योंकि पूर्ण विवेक उसके पास छोड़ दिया जाता है और पक्षों को अधिकार के रूप में साक्ष्य के उत्पादन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके अलावा, निपटान अधिकारी अधिकार धारकों की हिस्सेदारी को मजबूत करने की दृष्टि से अधिनियम का एक प्राणी है। जिस क्षण किसी विशेष संपत्ति का समेकन संचालन समाप्त हो जाता है और प्रक्रिया शुरू हो जाती है, निपटान अधिकारी कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है। इसलिए अधिनियम के तहत नियुक्त एक निपटान अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अर्थ में "न्यायालय" नहीं है।

(पैरा 8)

श्री रघबीर सिंह गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला के दिनांक 16 जनवरी, 1971 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत याचिका, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला के दिनांक 10 जून, 1970 के आदेश को पलटते हुए

स्वीकार करना। पुनरीक्षण याचिका और उस आदेश को रद्द करना जिसके तहत इन उत्तरदाताओं को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया था और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत के साथ आगे बढ़ने और गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

कार्यवाहीः—धारा 193, 196, 199, 209, 420, 427, 109 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत।

याचिकाकर्ता के वकील पी.एस. मान।

एच.एस.अवस्थी, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

नौबत सिंह, जिला अटॉर्नी। हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

ढिल्लों, न्यायमूर्ति —(1) धारा 193, 196, 199, 209 के तहत एक शिकायत; भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 427 और 109, याचिकाकर्ता मोहिंदर कौर और दो अन्य के खिलाफ विद्वान न्यायिक

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला के समक्ष दायर की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 19 जून, 1970 को शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि निपटान अधिकारी, जिसके समक्ष आरोपी व्यक्तियों द्वारा झूठे दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के तहत शिकायत दर्ज नहीं की थी, इसलिए , शिकायत पोषणीय थी। शिकायतकर्ता विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला के समक्ष पुनरीक्षण में गया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश. अंबाला ने अपने आदेश दिनांक 16 जनवरी, 1971 द्वारा पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत पर आगे बढ़ने और गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। श्रीमती मोहिंदर कौर याचिकाकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला के आदेश के खिलाफ इस पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया; दिनांक 16 जनवरी. 1971.

(2) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री पी.एस. मान, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री एच.एस.अवस्थी और हरियाणा राज्य के विद्वान जिला अटॉर्नी श्री नौबत सिंह को काफी गहनता से सुना है। लम्बाई, और मेरी राय है कि इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मान ने मेरे समक्ष निम्नलिखित दो बिंदुओं पर जोरदार ढंग से तर्क दियाः –

(1) कि पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 के तहत निपटान अधिकारी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अर्थ के तहत एक न्यायालय है, और इसलिए, विद्वान निपटान अधिकारी जिसके न्यायालय में है आरोप है कि अपराध किया गया है, शिकायत दर्ज नहीं की गई है, निजी पक्ष शिकायत दर्ज करने के हकदार नहीं हैं और उसी के को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से खारिज कर दिया है।

(2) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के तहत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को

रद्द करने की कोई शक्ति नहीं थी, और अधिक से अधिक विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को इस न्यायालय का संदर्भ देना चाहिए था और यह वह न्यायालय था जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर सकता था।

(3) बिंदु संख्या 1 के संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि निपटान अधिकारी पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम द्वारा बनाया गया एक प्राधिकारी है, जिसे दावे का फैसला करना है चकबन्दी कार्यवाही में विवाद के संबंध में वादी पक्ष।

आगे तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार, निपटान अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार है, जिसकी उपस्थिति वह निपटान अधिकारी के रूप में उसके समक्ष किसी व्यवसाय के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझता है और उक्त व्यक्ति को शामिल किया जाता है। कानून के अनुसार सत्य बोलने के लिए और उसके सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य है। इसलिए,

उनका तर्क है कि निपटान अधिकारी, जिनके आदेश भी निर्धारक हैं और पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम के तहत परिकल्पित उच्च पदानुक्रम के समक्ष अपील के अधीन हैं, निश्चित रूप से न्यायालय और धारा 195 के प्रावधान हैं। दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी।

(4) विद्वान वकील ने वीरेंद्र कुमार सत्यवादी बनाम पंजाब राज्य में रिपोर्ट किए गए एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रभुत्व की टिप्पणियों पर भरोसा किया है। [1], जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैंः –

"यह मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जो बात एक अदालत को अर्ध–न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग करती है, वह यह है कि उस पर न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करने और एक निश्चित निर्णय में पार्टियों के अधिकारों की घोषणा करने का कर्तव्य लगाया गया है। न्यायिक तरीके से निर्णय लेने में यह शामिल है कि पक्ष अपने दावे के

[1] ए.एल.आर. 1956 एस.सी. 153.

समर्थन में सुनवाई करने और इसके सबूत में सबूत पेश करने के अधिकार के रूप में हकदार हैं।

और यह प्राधिकारी के लिए एक दायित्व भी है कि वह प्रस्तुत किए गए सबूतों पर विचार करके और कानून के अनुसार मामले का निर्णय करे। जब यह सवाल उठता है कि क्या किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया प्राधिकरण अर्ध–न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग एक न्यायालय है, तो यह तय करना होगा कि क्या अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के सभी गुण मौजूद हैं। ”

(5) उल्लेखनीय है कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36(2) के तहत नामांकन पत्र की वैधता पर निर्णय लेने वाला रिटर्निंग ऑफिसर कोई न्यायालय नहीं है।

(6) विद्वान वकील तब एक पूर्ण पीठ प्राधिकारी पर निर्भर करता है, जिसकी सूचना इस न्यायालय ने श्रीमती में दी थी। विद्या देवी बनाम

फर्म मदन लाई प्रेम कुमार[2], जिसमें पूर्ण पीठ द्वारा यह माना गया था कि ईस्ट पंजाब अर्बन बेंट प्रतिबंध अधिनियम (1949 का III) के तहत किराया नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकरण धारा के अर्थ में एक न्यायालय है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195. विद्वान वकील का तर्क है कि पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निपटान अधिकारी 1'फीस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अर्थ के तहत एक न्यायालय है, क्योंकि उक्त अधिकारी सी को बाध्यकारी आदेश पारित करने का अधिकार है और इसे विवाद में पक्षों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया जा सकता है। वह पार्टियों के बीच नागरिक प्रकृति के विवादों को अधिनियम की धारा 40 के तहत बुलाने का अधिकार रखता है, गवाह अगर हा तो पसंद है।

[2] आई.एल.आर. (1971) आई पी.बी. एवं घंटा 112=1971 पी.एल.आर. 61.

(7) टीआईसीएस बनाम हाथ पर, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील श्री अवस्थी का तर्क है कि मोहम्मद राजिक खान बनाम बी.एम. सिंह और अन्य[3] में रिपोर्ट किए गए एक मामले में, इलाहाबाद उच्च के समक्ष सटीक प्रश्न न्यायालय का कहना था कि क्या बंदोबस्त अधिकारी यू.पी. होल्डिंग्स समेकन अधिनियम आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 480 के अर्थ के तहत एक न्यायालय था, उक्त न्यायालय ने यूपी के तहत निपटान अधिकारी की शक्तियों की जांच करने के बाद कहा था। होल्डिंग्स समेकन अधिनियम इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निपटान अधिकारी एक राजस्व न्यायालय नहीं था और इसलिए, उसके पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने और धारा 228 में वर्णित अपराध के लिए उसे दंडित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 480 के तहत कोई शक्ति नहीं थी। भारतीय दंड संहिता के. विद्वान वकील राम सरूप दया सुख बनाम राज्य और अन्य[4] में रिपोर्ट किए गए एक मामले पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें इस न्यायालय के

[3] ए.आई.आर. 1967 इलाहाबाद 88

[4] ए.आई.आर. 1965 पी.बी. 454.

एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और रोकथाम) के तहत एक निपटान अधिकारी विखंडन) अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 के अर्थ में एक न्यायालय नहीं है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि निपटान अधिकारी राज्य सरकार का एक प्रकार का एजेंट है जिसे समेकन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिस क्षण चकबंदी कार्रवाई समाप्त हो जाती है, अधिनियम के तहत निपटान अधिकारी और अन्य अधिकारियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उस उद्देश्य के लिए, विद्वान वकील अक्षोय कुमार रॉय बनाम लाई मोहल मजूमदार[5] में रिपोर्ट किए गए एक प्राधिकारी पर निर्भर करता है, जिसमें यह माना गया था कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और भूमि अधिनियम के अनधिकृत कब्जे में व्यक्तियों के निष्कासन के तहत सक्षम प्राधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(2) के अर्थ के अंतर्गत 1951 एक न्यायालय नहीं था। उस मामले में यह माना गया कि सक्षम

[5]) ए.आई.आर. 1969 कैल. 161.

प्राधिकारी की स्थापना सामान्य न्यायिक सिद्धांत के अनुसार न्याय प्रशासित करने के उद्देश्यों के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि सरकार के एक विभाग की नीति को लागू करने के उद्देश्य से की गई थी। विद्वान वकील जगन्नाथ प्रसाद और पूर्व पटादेश [6] में रिपोर्ट किए गए न्यायालय के मामले की टिप्पणियों पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें बिक्री कर अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के अपने आधिपत्य द्वारा विकल्प चुना था। आगे तर्क देता है कि बनाम श्रीमती सुबाघन और अन्य[7] में रिपोर्ट किए गए एक मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि चकबंदी अधिकारी इस अर्थ में राजस्व अधिकारी नहीं है भूमि राजस्व अधिनियम के। प्रतिवादी नंबर 1 के लिए विद्वान वकील पंजाब राज्य आदि बनाम शाम, कौर आदि[8] में रिपोर्ट किए गए एक मामले पर भरोसा करते हैं, जिसमें इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने यह विचार रखा था। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत उत्परिवर्तन कार्यवाही के दौरान मामले का कार्य

[6] ए.आई.आर. 1963 एस सी. 416.

[7] 1969 पी.एल.आर. 504.

[8] 1967 कक्सर. एल.जे. 405.

करने और निर्णय लेने वाला राजस्व अधिकारी अधिनियम की धारा 195 (1) (सी) के अर्थ के तहत एक न्यायालय नहीं है।

(8) पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों की जांच करने और उनके द्वारा उद्धृत अधिकारियों के माध्यम से जाने के बाद, मेरी राय है कि अधिकारियों ने राम सरूप के मामले में रिपोर्ट की, (4)(सुप्रा) और मोहम्मद रफीक खान के मामले में (3), (सुप्रा) उत्तरदाताओं के लिए कोई मददगार नहीं हैं क्योंकि साधारण कारण यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 और 195 की भाषा काफी अलग है। धारा 480 न्यायालय को सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय और आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है; जबकि धारा 195 में प्रावधान है कि न्यायालय में राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय और आपराधिक न्यायालय शामिल होंगे। उक्त परिभाषा समावेशी है। इसी तरह का विचार श्रीमती में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया था। विद्या देवी का मामला (2) (सुप्रा), जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया। इस मामले में जो प्रश्न निर्धारित किया

जाना है वह यह है कि क्या पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, क्या यह कहा जा सकता है कि निपटान अधिकारी धारा 195 के अर्थ के तहत एक न्यायालय है दंड प्रक्रिया संहिता? इसमें कोई संदेह नहीं है, निपटान अधिकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत होल्डिंग्स के समेकन के संबंध में प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच विवादों का फैसला करता है, यदि उसे ऐसा करने की आवश्यकता महसूस होती है तो वह अपील या आपत्तियों का निपटान करने से पहले किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है। योजना, उसे पार्टियों को सुनना है। लेकिन अकेले ये कारक इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निर्णायक नहीं हैं कि निपटान अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अर्थ में एक न्यायालय है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निपटान अधिकारी के समक्ष पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कोई विशेष प्राधिकारी न्यायालय है या नहीं, यह एक प्रमुख विचार है कि क्या पक्षकार अधिकार का कोई मामला उक्त प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या नहीं। अधिनियम की

धारा 40 के तहत, यदि वह चाहे तो केवल व्यक्तियों को ही सम्मन कर सकता है। एक तरह से निपटान अधिकारी द्वारा उसके समक्ष मामलों का निपटान सारांश तरीके से किया जाता है क्योंकि पूर्ण विवेक उसके पास छोड़ दिया जाता है और पक्षों को सबूत के उत्पादन को अधिकार के रूप में दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके अलावा, यह देखा जाना चाहिए कि निपटान अधिकारी अधिकार धारकों की हिस्सेदारी को मजबूत करने की दृष्टि से अधिनियम का एक प्राणी है। जिस क्षण किसी विशेष संपत्ति का समेकन संचालन समाप्त हो जाता है और प्रक्रिया शुरू हो जाती है, निपटान अधिकारी कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है। श्रीमती में रिपोर्ट किए गए प्राधिकारी के संबंध में। विद्या देवी के मामले (2) (सुप्रा), यह उल्लेख किया जा सकता है कि उस मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना था कि किराया नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकरण आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अर्थ के भीतर न्यायालय हैं। नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकरण पक्षों के बीच नागरिक विवादों का फैसला करते हैं क्योंकि पूर्वी पंजाब शहरी, किराया प्रतिबंध अधिनियम के अधिनियमन से पहले,

अधिकारियों के डोमेन के तहत विवादों का फैसला सिविल अदालतों द्वारा किया जाता था। इसके अलावा, इन प्राधिकारियों के आदेशों के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय में है और कई अन्य विचार भी हैं जो इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त प्राधिकारी धारा 195 के अर्थ में न्यायालय हैं। दंड प्रक्रिया संहिता. बंदोबस्त अधिकारी के मामले में ये सभी तत्व गायब हैं। विरिंदर कुमार सत्यवादी के कॉज (1) में रिपोर्ट किया गया 1 प्राधिकरण, (सुप्रा) केवल कुछ व्यापक दिशानिर्देश देता है जिन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई विशेष प्राधिकरण न्यायालय है या नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि चूंकि पक्षों को निपटान अधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, और वह जोत के समेकन के उद्देश्य के लिए क़ानून का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है (कि निपटान अधिकारी एक न्यायालय है) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 395 का अर्थ। इसलिए, मैं

मानता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अर्थ में निपटान अधिकारी एक न्यायालय नहीं है।

(9) जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दूसरी दलील है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने और आगे की जांच का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं है, मेरी राय में, भले ही ऐसा हो याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बावजूद, यह इस याचिका के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम के तहत निपटान अधिकारी एक नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अर्थ में न्यायालय, विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट का आदेश स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार के बिना है और मामला पुनरीक्षण में मेरे समक्ष होने के कारण, मैं विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए बाध्य हूं। चूंकि मैंने पाया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है, इसलिए उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया है और विद्वान, ट्रायल मजिस्ट्रेट को

गुण–दोष के आधार पर शिकायत पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। याचिका खारिज की जाती है ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा